ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(6): 397-402
www.allresearchjournal.com
Received: 04-03-2021
Accepted: 13-05-2021

ममता कुमारी सिन्हा
शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग,
जय प्रकाश विश्वविद्यालय,
छपरा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
ममता कुमारी सिन्हा
शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग,
जय प्रकाश विश्वविद्यालय,
छपरा, बिहार, भारत

घरेलू, हिंसा-सामाजिक एवं आर्थिक कारक

ममता कुमारी सिन्हा

सारांश
भारत में महिलाओं को कानूनन वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो पुरूषों को प्राप्त हैं, पर व्यवहार में अनेक विसंगतियां हैं, जिन्होंने महिलाओं की सोच में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया है। मिसाल के तौर पर, परिवार के अन्दर ही लड़कियों को अपने भाईयों की तरह पढ़ाई-लिखाई, खेलकूद, खाने-पीने तक की सुविधा नहीं मिलती। शादी के मामले में ज्यादा से ज्यादा लड़का दिखाकर उसकी मर्जी का पता लगाने की रस्म पूरी कर ली जाती है। बाद में लड़की की जिन्दगी दूभर हो जाए और उसकी जान चली जाए, तब मां-बाप भले रोते रहें, उससे पहले कुछ नहीं होता। नाबालिग लड़कियों की शादियां गैर-कानूनी होने के बावजूद आज भी अनेक स्थानों पर खुलेआम हो रही हैं। इस मामले में राजस्थान तो बाल विवाह के लिए सुप्रसिद्ध है।

मुख्य शब्द: घरेलू, हिंसा-सामाजिक, आर्थिक कारक, व्यवहार, महिलाओं

प्रस्तावना:
सार्वजनिक जीवन में लड़कियों का प्रवेश साधारणतः वर्जित है, क्योंकि बड़ों की निगाह में वहां चाल-चलन बिगड़ने का डर रहता है। लड़की कुंवारी हुई तो उसके लिए लड़का तलाश करना रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर लगता है। नौकरियों के मामले में पहले के मुकाबले अब काफी छूट देखी जाती है, इसलिए भी कि नौकरीशुदा लड़की की शादी ज्यादा असान हो गई है, पर कमाउ लड़कियों की कठिनाइयां घर-बाहर दोनों जगह बढ़ गई हैं। यहीं सब विचार कर समाज वादी नेता डा. राममनोहर लोहिया ने पिछडे वर्ग में महिला को भी शामिल किया था, किन्तु स्वयं पिछड़े वर्ग के नेताओं ने अपने वर्गीकरण में महिलाओं को अलग से स्थान नहीं दिया। पूरी दूनिया में निगाह दौड़ाने पर यह देखा गया कि पुरूषों से किसी प्रकार कम न होने पर भी, महिलाओं के साथ लगभग सभी जगह भेदभाव होता चला आया है।
जो आंकड़े यूनिसेफ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ने एकत्र किए हैं, उनके अनुसार कुल आबादी में आधी होते हुए महिलाए दो-तिहाई काम करती है, पर उनके काम का सिर्फ एक-तिहाई दर्ज हो पाता है। संसार में जितनी कुल सम्पति है, उसका सिर्फ दसवां हिस्सा उनके नाम है। एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के विवरण से पता चलता है कि ग्रामीण अंचल में यह अन्तर और अधिक है।

इसका कारण यह है कि आर्थिक और समाजिक दोनों दृष्टियों से महिला को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। विकासशील देशों में महिलाओं की हालत आरै भी शोचनीय रही है।

लड़की पैदा ही नहीं होगी इस परिस्थिति का और अधिक क्रूर स्वरूप हुआ, लड़की को पैदा होने के बाद उसे समाप्त कर देना या उसे पैदा ही न होने देना। यह केवल गरीब घरों की बात नहीं है। एक मामला उच्चतम न्यायालय का है, जिसके अनुसार स्त्री जब भी गर्भवती होगी, वह लड़का ही पैदा करेगी, लडकी नहीं। इस डॉक्टरी प्रक्रिया पर कई लाख रूपए खर्च होते हैं। जाहिर है कि यह काम पैसे वाले ही कर सकते हैं। सामान्यत आमदनी वाले के बस की बात नहीं है। गरीब आदमी लड़की जिम्मेदारी से बचने के लिए उसे जान से मार नहीं पाता तो उसे इधर-उधर डाल आता है या अनाथालय में लड़कियों की संख्या बढ़ा देता है। इस झंझट से बचने के लिए यदि नई विधि के जरिए लड़की पेट में आएगी ही नहीं तो न उसके पैदा होने का सवाल और फिर न उसे मारने, फैंकने या कोई अन्य अपराध करने का सवाल। कहते हैं कि यह एरिक्सन तकनीक हिन्दुस्तान के अनेक शहरों में धड़ल्ले से अपनाई जा रही है। उच्चतम न्यायलय के सामने प्रश्न है कि जब लड़की को पेट के अन्दर ही या बाहर मारा नहीं गया फिर भी क्या वह जुर्म की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है, जो अभी तक भारतीय दण्ड विधान में नहीं है।

घर का कत्र्ता-धत्र्ता मर्द माना जाता है। इसलिए लड़का ही परिवार का भविष्य है। दहेज पर चाहे जितना प्रतिबंध हो, लड़के को दहेज मिलेगा ही, चाहे वह किसी कामकाज से लगा हो अथवा न लगा हो। अगर वह कहीं आई.ए.एस. हुआ तो फिर पांचों अंगुली घी में हैं।

कानूनन दहेज लेना अपराध होने पर भी व्यापारी वर्ग ही नहीं, राजनेता, मंत्री, सरकारी अधिकार सभी लोग दहेज लेने में संकोच नहीं करते। यह बड़प्पन की निशानी है। दिल्ली, मुम्बई, कोलकत्ता के अलावा अन्य शहरों और कुछ कस्बों में भी शादी के मौसम में इस बड़प्पन की चकाचैंध होती रहती है, जिससे सिर्फ नाते, रिश्तेदार ही नहीं, राज्यपाल, मंत्री और बडे-बड़े अफसर भी देखे जा सकते हैं। लक्ष्मी की डोर अच्छे-अच्छों को बांध लेती है। लड़का-लड़की के भेदभाव का एक त्रासद और खतरनाक परिणाम यह हुआ कि लड़कियों की संख्या कम होने लगी है। 1981 की जनगणना में पाया गया कि भारत की कुल आबादी में 1000 पुरूषों के मुकाबले स्त्रियां सिर्फ 934 थी। 1991 में स्त्रियों की संख्या और घटकर 927 रह गई। इससे कई सामाजिक कुरीतियां और अपराध बढ़ने की आशंका पैदा हुई। 2001 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार यह असन्तुलन कुछ कम हुआ है। महिलाओं की संख्या अब 933 है। प्रति हजार मर्द पीछे 67 महिलाएं कम हैं। फिर भी दो प्रदेश ऐसे हैं जहां मर्दो की संख्या औरतों से कम है। केरल में एक हजार मर्दों के मुकाबले 1085 और पाण्डिचेरी में 1001 स्त्रियां है। जहां महिलाएं 900 से भी कम हैं, वे हैं- उत्तर प्रदेश 898, सिक्किम 836, पंजाब 874, हरियाणा 861, अण्डमान और निकोबार 846, दिल्ली 821, दादरा नगर हवेली 811, चण्डीगढ़ 773 और दमन दीव 709। पंचायतों में महिलाएं पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद सभी देशों में महिलाओं को उचित स्थान देने के आन्दोलन ने जोर पकड़ा। इसका एक उपाय भारत में यह निकला कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि अपने आप उनका पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। जब वे फैसला करने के मंचों पर पहुंचेगी तो वर्तमान असन्तुलन दूर होने लगेगा। भारतीय संसद ने 1993 में सविधान के 73वें संशोधन के अन्तर्गत महिलाओं को पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण दे दिया। पचंयतों के चुनाव भी हो गए। यह नहीं कहा जा सकता कि सभी पंचायतों में महिलाओं की जो प्रतिष्ठा होनी थी, ही पाई है।

फिर भी, सभी प्रदेशों की पंचायतों के कामकाज का विश्लेषण करने पर यह अधिकारपूर्वक कहा जा सकता है कि ग्रामीण स्तर पर इस देश में पहली बार महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वाभिमान जागा है कि वे अपने घर के बाहर भी बहुत कुछ कर सकती हैं। राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात तथा कुछ अन्य प्रदेशों को महिला सरपंचों ने अपनी कर्मठता और हिम्मत दोनों के अनुकरणीय उदाहरण पेश किए हैं। 1991 से 2001 तक दस वर्षों में सबसे अधिक साक्षरता वृद्धि राजस्थान में हुई है। 1991 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में स्त्री-पुरूष मिलाकर 38. 55 प्रतिशत साक्षर थे जो 2001 में बढ़कर 61.3 प्रतिशत हो गए, अर्थात् 23 प्रतिशत अधिक व्यक्ति साक्षर हुए। इसका बहुत कुछ श्रेय पंचायतों में नई जागृति को दिया जाता है। गांव के अनेक काम जो वर्षों से मर्द सरपंच नहीं करा पाए थे, उन्हें महिलाओं ने कर दिखाया है। यदि कहीं पंचायतों के पर्याप्त आर्थिक साधन सुलभ हो जाएं और निर्वाचित पचों, सरपंचों को आवश्यक अधिकार दे दिए जाए तो पंचायतें और भी बहुत कुछ कर सकती हैं और राज्य शासन का बोझ हल्का कर सकती हैं। यह तो हुई सबसे नीचे स्तर की बात जहां कोई भी फैसला एक छोटे दायरे के अन्दर ही सीमित रहता है और

इसमें होने वाली कठिनाइयां भी साधारणतः कोई बहुत शोर नहीं मचा सकती। सम्भवतः इसलिए संसद ने पचंायतों में महिलाओं का आरक्षण सुविधापूर्वक कर दिया। दूसरी आरे जो सत्ता और सत्ता की भागीदारी के मुख्य गई है-

विधानसभा आरै लोकसभा, उसके लिए संसद में महिलाओं के आरक्षण का विधेयक 1996 से करवटें बदलता रहा है। तेरहवीं लोकसभा की अवधि में प्रधानमंत्री ने विधेयक स्वीकार करने की उत्सुकता प्रकट की थी। साथ ही साथ इस पर सबकी सहमति की भी बात उठाई थी, किन्तु बात नहीं बनी। अब देखना है कि इस सन्दर्भ में चैदहवीं लोकसभा क्या कुछ कर पाती है।

सभी पार्टियों की महिलाए एकमत इस प्रसंग में यह ध्यान देने योग्य बात है कि संसद में यदि एक विषय पर सभी महिला सदस्याएं दलगत भेदभाव से ऊपर उठकर एकमत हैं, तो वह है विधानसभाओं और लाके सभा में उनके लिए 33 प्रतिशत आरक्षण, किन्तु पुरूष प्रधान समाज की पुरूष प्रधान संसद में सिद्धान्त रूप से सहमति हो जाने पर भी कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। देश के मार्गदर्शन आरै संचालन करने में महिलाओं की भागीदारी अधिक होनी चाहिए, यह विधेयक कानून का रूप ग्रहण करने के लिए वर्षों से छटपटा रहा है। महिलाओं के एक-तिहाई आरक्षण के लिए 81वंे सशांेधन विधेयक पर गठित संयुक्त समिति की रिपोर्ट लाके सभा में 9 दिसम्बर, 1996 को पेश हुई थी। संयुक्त समिति में 31 सदस्य थे और इसकी अध्यक्ष थी- श्रीमती गीता मुखर्जी, कम्युनिस्ट। इसके बाद लोकसभा भंग हो जाने पर लगभग यही विधेयक 84वें संविधान संशोधन विधेयक के नाम से 14 दिसम्बर, 1998 को पेश किया गया। वह लोकसभा भी विधेयक पर फैसला करने से पहले भंग हो गई। इसके बाद 85वें संशोधन विधेयक के रूप में यह 23 दिसम्बर, 1999 को तेरहवीं लोकसभा में लाया गया था। तेरहवीं लोकसभा भंग होने के बाद अब 14वीं लोकसभा बन चुकी है। वर्तमान सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन महिला आरक्षण के प्रति वचनबद्ध लगता है। एक महिला सदस्य के शब्दों में अनिश्चय में डूबते उतरते पुरूष सदस्य इस विषय पर आपस में सहमति नहीं पैदा कर पा रहे हैं। 14वीं लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था न हो पाने से वहीं स्थिति है। यद्यपि खुलकर बात नहीं की जा रही थी लेकिन इसकी सबसे बड़ी अड़चन यह थी कि तेरहवीं लाके सभा में पुरूषों का प्रतिनिधित्व 90 प्रतिशत से अधिक था, जो महिला आरक्षण कानून के बाद घटकर लगभग 67 प्रतिशत रह जाएगा। कौन पुरूष सदस्य चाहेगा कि संसद में उसके प्रवेश की सम्भावनाएं और कम हो जाए। अभी हाल ही में दिसम्बर, 2006 में हुए संसद अधिवेशन में भी इस बिल को बजट सत्र के लिए टाल दिया गया।

महिलाओं की विशिष्टता

ऐसा नहीं है कि इस देश में योग्य और प्रबुद्ध महिलाओं की कमी हो। पा्र चीन काल में ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ गार्गी आरै मैत्रेयी के उच्चतम दार्शनिक संवादों को हम न याद करें तो भी वर्तमान युग में हमने विलक्षण प्रतिभाशाली महिलाओं के दर्शन किए हैं। गिनती के लिहाज से कम होने के बावजूद महिला सदस्यों ने संसद में जो धाक जमाई है, वह अगर पुरूष सदस्यों को भयभत करे कि अधिक महिलाओं के आ जाने पर वे खुद कितने कम और कमजोर हो जाएगे, तो कोई आश्चर्य नहीं। जिन लोगों ने संसद की बहस सुनी है, उन्हें यह कहने में संकोच नहीं होगा कि महिला सदस्यों में वह प्रतिभा मिल जाएगी, जो ऊँचे से ऊँचा पद सम्भालने योग्य हो। यदि आरक्षण की व्यवस्था हो गई तो निश्चत ही उसके बाद की आगामी लोकसभा कहीं अधिक सार्थक ही नहीं आकर्षक और सम्भवतः अनुशासनप्रिय भी हो जाए।

पुरूषों की देखादेखी इक्का-दुक्का छोड़कर कोई भी महिला सदस्य पुरूष सदस्यों की तरह गला फाड़कर सदन के कामकाज में बाधा डालने वालें मं शामिल नहीं है। जो भी हो, महिला आरक्षण को लेकर जो असमंजस या दिक्कत अभी है, उसका समाधान करने का प्रयास होना चाहिए। कुछ पुरूष सदस्यों की राय थी (जिसे खलु कर कहने में उन्हें संकोच था) कि महिलाएं अपना आरक्षण तैंतीस फीसदी से घटाकर पन्द्रह या बीस फीसदी कर देने को राजी हो जाए तो विधेयक जयादा आसानी से पास हो सकता था। अधिक साधन सम्पन्न महिलाएं फिर भी गैर-आरक्षित सीटों से लड़ सकेगी, जेसे वे अभी तक लड़ती रही हैं और जो न सिर्फ चुनाव जीती हैं, उन्होंने संसद की शोभा बढ़ाई है, उसे गरिमा प्रदान की है, चाहे वे किसी पार्टी की हों, किन्तु 13वीं लोकसभा भंग हो गई और विधेयक स्वत्वहीन हो गया। अब चैदहवीं लोकसभा से आशा की जानी चाहिए कि वह देश की आधी आबादी के इसे महत्वपूर्ण विधेयक को अवश्य ही अमलीजामा पहनावेगी।

लक्ष्य तथा उद्देश्य

इस नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति तथा शक्ति सम्पन्नता है। इस नीति का व्यापक रूप से प्रचार किया जाएगा, ताकि इसके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित वर्गों की सक्रिय

भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। विशिष्ट रूप से इस नीति के लक्ष्यों में शामिल हैं।

1. महिलाओं की पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के लिए महिलाओं के पूर्ण विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के माध्यम से वातावरण का सृजन।
2. राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सिविल सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ समान आधार पर महिलाओं द्वारा समस्त मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं का सैद्धान्तिक तथा वस्तुतः उपभोग।
3. राष्ट्र के सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन में महिलाओं को भागीदारी तथा निर्णय-स्तर तक समान पहुंच।
4. सभी स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल, स्तरीय शिक्षा, जीविका तथा व्यवसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, समान पारिश्रमिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक पदों इत्यादि में महिलाओं की समान पहुंच।
5. महिलाओं के साथ होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन के उद्देश्य से कानूनी प्रणालियों का सुदृढीकरण।
6. पुरूषों तथा महिलाओं दोनों की सक्रिय भागीदारी द्वारा सामाजिक रवैये और प्रथाओं में परिवतर्न।
7. विकास प्रक्रिया में महिला परिपेक्ष्र यों को शामिल करना।
8. महिलाओं तथा बालिकाओं के साथ होने वाली हिंसा के सभी रूपों तथा भेदभावों का उन्मूलन।
9. सिविल समाज, विशेषकर महिला संगठनों के साथ भागीदारी बनाना तथा उसका सुदृढ़ीकरण।

महिलाओं की आर्थिक शक्ति- सम्पन्नता

निर्धनता उन्मूलन- चूंकि गरीबी-रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाली अधिकांश महिलाएं ही है। तथा पा्र यः वे अत्यधिक गरीबी की स्थिति मे जीवन व्यतीत करती हैं, उन्हें कठोर घरेलू परिस्थितियों तथा सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अतः इस वर्ग को महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के निदान हेतु विशेष रूप से व्यापक आर्थिक नीतियां तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जाएगे।

अल्प-ऋण- उपभोग तथा उत्पादन हेतु ऋण तक महिलाओं को पहुंच बढ़ाने के सम्बन्ध में नए तंत्रों की स्थापना तथा मौजूदा अल्प ऋण तंत्रों तथा अल्प वित्त संस्थाओं का सुदृढीकरण किया जाएगा।

महिलाएं तथा अर्थव्यवस्था- वृहद् आर्थिक और सामाजिक नीतियां तैयार करने और उनके कार्यान्वयन मे महिलाओं की प्रतिभागिता को संस्थागत बनाकर उनके परिपे्रक्ष्यां को उसमं सम्मिलित किया जाएगा। औपचारिक तथा अनापै चारिक क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास में उत्पादकों तथा कार्यकर्ताओं के रूप में महिलाओं के यागदान को मान्यता प्रदान की जाएगी तथा रोजगार और अन्य कार्य परिस्थितियों से सम्बन्धित उपयुक्त नीतियां तैयार की जाएगी।

कठिन परिस्थितियों में महिलाएं

महिलाओं की अलग-अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा विशेष रूप से वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को देखते हुए, उन्हें विशेष सहायता प्रदान करने के उपाय और कार्यक्रम शुरू किए जांएगे।

महिलाओं के साथ हिंसा- महिलाओं के साथ सभी प्रकार की हिंसा की घटनाओं, चाहे शारीरिक हिंसा हो या मानसिक, चाहे घर में हो या समाज में, जिसमें रीति-रिवाजों, परम्पराओं अथवा मान्य प्रथाओं के फलस्वरूप होने वाली हिंसा भी शामिल है, को रोकने के लिए कारगर उपाय किए जाएगे। महिलाओं और लड़कियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए कार्यक्रमों आरै उपायों के विशेष बल दिया जाएगा।

बालिका के अधिकार- परिवार के भीतर आरै परिवार के बाहर बालिकाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभाव और उनके अधिकारों के उल्लंघन को निवारक और दण्डात्मक दोनों प्रकार के उपाय करके समाप्त किया जाएगा। ये उपाय विशिष्ट रूप से प्रसवपूर्व लिंग-निर्धारण, बालिका भ्रूण-हत्या, बालिका शिशु-हत्या, बाल विवाह, बाल-शोषण तथा बाल वेश्यावृत्ति आदि की प्रथाओं के विरूद्ध कानूनों के कड़े प्रवर्तन से सम्बन्धित होंगे।

देष के अधिकांष हिस्सों में यही परम्परा चली आ रही है आरै अनेक अध्ययनों में भारतीय दम्पतियों ने इसकी पुष्टि की है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2 से पता चलता है कि 36 प्रतिषत महिलाओं को बेटियों से ज्यादा बेटों की चाहत है और सिर्फ दो प्रतिषत महिलाएं बेटों से ज्यादा बेटियाँ चाहती है। बेटों की चाहत शहरी क्षेत्रों में पढ़ी-लिखी महिलाओं, अधिक शिक्षित महिलाओं, अधिक पढ़े लिखे पतियों वाले परिवारों की महिलाओं और ऊचें रहन-सहन वाले परिवारों की महिलाओं में अपेक्षाकृत कम है। बेटों की चाहत उत्तर भारत और मध्य भारत पर खासतौर पर अधिक तथा दक्षिणी एवं पष्चिमीं भारत में कुछ कम दिखाई देती है। भारत के कुछ हिस्सों में बालिका भ्रूण हत्या के चलन के प्रमाण मिले है। प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्रों के रिकॉडर्स का उपयोग करते हुए नवजात षिषु मौतों में लिगं भेद के एक अध्ययन से पता चलता है कि बालिकाओं की मौते अधिक होने के पीछे सामाजिक कारण जिम्मेदार है। भारतीय दण्ड संहिता में षिषु हत्या को हत्या माना गया है और इसे रोकनें के लिए इस कानून की कई धाराओं का सहारा लिया जा सकता है। दुर्भाग्यवष, अधिकांष मामलों में इस काम की जिम्मेदारी अकेले माता पर होती है।

भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए एम्नियोसिन्टेसिस या अल्ट्रासाउण्ड़ परीक्षण का उपयोग शुरू होने के बाद लिंग भेद ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है। जाँच के बाद अगर भ्रूण मादा पाया जाए तो उसके गर्भपात का चलन भी है। बालिका भ्रूण हत्या के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीकों का उपयोग महिला एवं भ्रूण के लिए खतरनाक होने के साथ-साथ समाज में महिलाओं की हैसियत की और नीचे गिराता है। भारत में प्रसवपूर्व निदान के लिए सोनोग्राफी आरै कोरियोनिक विल्ली बायोप्सी जैसी अनेक तकनीकें प्रचलित है, किन्तु इन परीक्षणों की व्यापारिक वहनीयता ने नैतिक-अनैतिक की सोच को झूठला दिया है।

यह देखा गया है कि लिंग निर्धारण परीक्षण बड़े शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि छोटे कस्बों में भी इनका खूब चलन है। चिकित्सा तकनीक के दुरूपयोग की सच्चाई को पहली बार 1982 को समझा गया और फिर इसके नियमन के लिए अभियान छेड़ा गया। 1994 में प्रसवपूर्व निदान तकनीक (नियमन एवं दुरूपयोग की रोकथाम) अधिनियम (पी. एन.डी.टी) को कानूनी रूप दिया गया है। इसके अन्तर्गत पंजीकृत आनुवंषिक क्लीनिकों, आनुवांषिक प्रयोगषालाओं और आनुवंषिक परामर्ष केन्द्रों में प्रसवपूर्व निदान तकनीकों का उपयोग करते समय अधिनियम में निर्धारित शर्तों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए और इसकी अनुमति सिर्फ भ्रूण की विकृतियों का पता लगाने के लिए ही दी गई है। इतने वर्षो में महिला लिंग अनुपात में तेजी से गिरावट से संकेत मिलता है कि इसका प्रमुख कारण आमतौर पर बालिका की उपेक्षा की बजाय बालिका षिषु और बालिका भ्रूण हत्या हो सकता है। सेक्स अनुपात किसी भी समाज में महिलाओं की हैसियत का संवेदी सूचकांक हो सकता है और कुछ राज्यों में सेक्स अनुपात में गिरावट बहुत चिन्ताजनक है। एन.एफ.एच.एस.-2 सवक्षेण के अनुसार हरियाणा में प्रति 1000 पुरूषों पर 872 महिलाओं के साथ सेक्स अनुपात सबसे कम है। आज भारत चीन के बाद दुनिया का दुसरा 100 करोड़ से अधिक आबादी वाला देष हो गया है। 1991 से 2001 के दषक में देष की आबादी में 28.43 प्रतिषत की वृद्धि हुई किन्तु भौंचक्काने वाली बात यह रही कि इतनी जनसंख्या वृद्धि के बावजूद बालक बालिका का लिंग अनुपात और कम हो गया।

लड़को की जनसंख्या दर लड़कियों की तुलना में अधिक रही है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह अनुपात लगभग 940 से 950 प्रति 1000 लड़को पर रहता है। बालक-बालिका लिंग अनुपात प्रति 1000 बालकों में 0-6 वर्ष तक की बालिकाओं के सापेक्ष लिया जाता है। भारत में यह अनुपात 1991 जनगणना के आधार पर 1000 बालकों पर 945 बालिकाएं थी जो 2001 की जनगणना में घटकर 1000: 927 हो गया। इससे पूर्व 1961 में 1000: 976, 1971 में 1000: 964 और 1981 में 1000: 962 की दर से कम होता गया एवं 2011 में 940 हो गई।

जल्द ही ऐसी स्थिति आ सकती है जब इन कम होती बालिकाओं की संख्या को संभालना मुष्किल हो सकता है। असन्तुलित लिंग के कारण होने की सामाजिक समस्याओं से पैदा विकृतियाँ पूरे सामाजिक ढ़ांचे को ढ़ला सकती है और दूरगामी परिणाम बहुत भयानक हो सकते है।

हरियाणा, पंजाब, दिल्ली आरै गुजरात, इन चार राज्यों में यह अनुपात प्रति हजार लड़को पर 900 लड़कियाँ रह गयी है। 16 राज्यों के 70 जिलों व केन्द्र शासित प्रदेषों में 1991-2001 के दषक में इस अनुपात में 50 अंक की कमी अभी है, कुरूक्षेत्र में 770 अहमदाबाद (गुजरात) में 814, और दक्षिण दिल्ली में 845 की संख्या प्रति हजार लड़कों पर है, जबकि ये सभी स्थान देष के सबसे समृद्धिषालीं जगहों में से है।

निष्कर्ष

कुछ तथाकथित सामाजिक कारणों, जैसे वंष का चलना, वृद्धावस्था में माँ-बाप की देखभाल, मृत्योपरान्त अन्तिम संस्कार, विवाहोपरान्त कन्या का दूसरे घर में चला जाना, दहेज प्रथा आदि कुछ कारण है जिनकी वजह से बालिकाओं के वनिष्पत बालकों को हमारें समाज में प्राथमिकता दी जाती है सम्पूर्ण भारत में यह एक सामान्य प्रथा सी बनती जा रही है कि अजन्में बच्चें का लिंग मालूम किया जाये और लिंग के बालिका होने पर उसे नष्ट कर दिया जाये। परन्तु इसे नहीं भूलना चाहिए कि ईष्वर के विधान में संसार को सन्तुलित रखने के लिए नर एवं नारी दोनो का बराबर योगदान है। संकुचित, स्वार्थी एवं अदूरदर्षिता वष हमारा समाज इस कन्या वध के पाप से अपने दुष्कर्मों को पोषित ही कर रहा है जिसकी सजा प्रकृति उसे अवष्य देगी। समय रहते, आइये हम सभी मिलकर समाज की इस निर्दयी सोच को सुधार दें।

संदर्भ

1. प्रकाश नारायण नाटाणी - कन्या भ्रुण हत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा बुक एक्ल एस. एस. टावर, धामाणी स्टेट, चैडा रास्ता, जयपुर।
2. राम आहुजा, 2002, सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन, जयपुर
3. एल. मेनन, 1957, 1964 वुमेन इन इण्डिया एण्ड अब्रांड तारा अभी बेग (स) वुमेन ऑफ इण्डिया, दिल्ली पब्लिकेशन डिवीजन
4. विमला मेहता 1979, एटीव्यय ऑफ एजुकेटेड वीमेन दुवर्डस सोश्य इशूय दिल्ली नेशनल
5. लिन्डसे मेकी एण्ड पाली पटुलो विमेन एट वर्क लन्दन ट्रा, विस्फोट, 1977
6. हेजल. डी, 1983 भिमावोमोशन लोकल गवस्मेन्ट दिल्ली कोन्सेप्ट पब्लिसिंग कम्पनी
7. गिरीजा खन्ना एण्ड मरिम्मा 1978, ए वरगीज इण्डियन विभिन्न डूडे विकास पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली
8. प्रमिला. कयूर, 1970, मैरिज एण्ड वर्किग विमेन इन इण्डिया दिल्ली, विकास पब्लिकेशन
9. के. एम. कपाडिया, 1959 ''दी मेमिल इन ट्रान्जिशन सोशियों लॉफी कल बुलेटन 8 सितम्बर
10. प्रमिला. कयूर, 1978, मैरिज एण्ड वर्किग विमेन इन इण्डिया दिल्ली, विकास पब्लिकेशन